न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर।

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्याः–258/2018 (2018/00258)223/सरवाड़

1. श्री छोटू सिंह पुत्र कल्याण सिंह
2. मोहन सिंह पुत्र मदन सिंह
3. गोपाल सिंह पुत्र मदन सिंह
4. भंवर सिंह पुत्र भैरू सिंह
5. कान सिंह पुत्र मदन सिंह समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील सरवाड जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्री सूरतराम पुत्र बालूराम, जाति जाट, निवासी सांपला, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के आदेश दिनांक 20.07.2018, अन्तर्गत राजस्व वाद संख्या 121/2018.

उपस्थितः–
1. श्री रघुनाथ सिंह राठौड़, एड़वोकेट अपीलांटस की ओर से।
2. श्री मदनपुरी गोस्वामी, एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट की ओर से।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः– 30.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़, जिला अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018 के विरूद्ध पेश की गयी है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र राजस्व कैम्प पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी महोदय) के समक्ष राजस्व कैम्प सांपला में दिनांक 15.05.2018 को पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट /प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात खसरा नम्बर 2190 रकबा 0.30 हैक्टेयर ग्राम सांपला तहसील सरवाड़ जिला अजमेर में अवस्थित है। उसकी खातेदारी की काश्तकारी की आराजीयात पर अपीलांट/अप्रार्थी ने जबरन कब्जा कर लिया है। जिससे उन्हें बेदखल किया जाकर रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को कब्जा दिलाया जावे। जिस पर पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 29.05.2018 नियत की जिस पर कान सिंह व छोटू सिंह उपस्थित हुये और अपीलांट को जवाब हेतु दिनांक 11.06.2018 की तारीख पेशी नियत की गयी। किन्तु पत्रावली दिनांक 11.06.2018 के बजाय दिनांक 18.06.2018 को प्रस्तुत की गई और दिनांक 18.06.2018 को अपीलान्ट का जवाब बन्द कर जिरह हेतु आगामी दिनांक 21.06.2018 नियत की गई और दिनांक 21.06.2018 को आगामी पेशी दिनांक 13.07.2018 नियत की एवं तत्पश्चात् दिनांक 20.07.2018 नियत की एवं दिनांक 20.07.2018 को ही प्रकरण में बहस सुनकर प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित कर अपीलान्ट विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.07.2018 के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4. अपील को दौरान अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धरा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सूपा द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, उक्त मकानात की फोटोग्राफ एवं विद्युत कनेक्शन के बिल पूर्व में सहवन से प्रस्तुत नहीं किये जाने सके थे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जावे। रेसपोडेंट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही कर सीधा बहस सुने जाने का निवेदन किया तथा कथन किया कि उक्त दस्तावेज सुसंगत दस्तावेज नही है। इसलिये अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित समस्त दस्तावेज इस स्टेज पर प्रकरण से सुसंगत एवं तात्विक दस्तावेज नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अपीलांट उक्त समस्त दस्तावेजों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर साक्ष्य में प्रदर्शित करवाने हेतु स्वतन्त्र है।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि किसी भी प्रकार से आदेश 6 व आदेश 7 नियम 1 सी0पी0सी0 के अनुसार वाद की श्रेंणी में नही आता है और ना ही वाद के साथ वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में शपथ–पत्र पेश किया गया है फिर भी उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ ने बिना वादकारण व बिना प्रफोरमा के उक्त प्रार्थना पत्र को वाद मानकर निर्णय पारित किया है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहय को आगे बढ़ाते हुये कथन किया कि अपीलांट पूर्वजों के समय से ही विवादित आराजीयात पर काबिज चले आ रहे है जिससे अपीलांट को प्रकरण में पूर्ण सुनवायी का अवसर दिये बिना ही वाद का निर्णय किया है। विवादित आराजीयात अपीलांट की पुश्तैनी कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिस पर अपीलांट पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। जिससे रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद मयाद बाहर पेश किया गया है और रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद मयाद बाहर पेश किया गया है और रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र में कहीं भी वादकारण कब उत्पन्न हुआ अंकित नहीं किया। उक्त तथ्य अंकित किया है कि इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतया विधिक प्रावधानों/जाप्ता दीवानी के आदेश 7 नियम 11 के प्रतिकूल होकर काबिल निरस्त योग्य था। प्रस्तुत वाद में सभी पक्षकारों की तलबी नहीं हुयी थी और अपीलांट कानसिंह व छोटू सिंह को भी तलबी के बाद गलत तारीख बता दी गयी इस प्रकार अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिला और ना ही रेस्पोडेन्ट के बयान करवाये गये और ना ही जिरह का मौका दिया और ना ही तनकी कायम की गई। इस प्रकार आनन फानन में प्रार्थना पत्र को एक पक्षीय रूप से सुनकर निर्णय पारित किया गया है। इसके अलावा कथन किया कि मौका रिपोर्ट दिनांक 28.03.2018 के अनुसार विवादित भूमि पर एक सार्वजनिक हैण्डपम्प होना व 50 साल पुराना एक पानी भरने के लिये पक्का कुआ बना हुआ है एवं बिजली का खम्भा लगा हुआ है और उक्त खम्भे से मकानात में कनेक्शन भी ले रखा है एवं उक्त भूमि पहले खलियान के काम में आती थी और वर्तमान में पक्के मकान बने हुये जो कि पुराने है और ग्राम पंचायत द्वारा सी0सी0 रोड बना रखी है एवं ग्रामवासियों के अनुसार विवादित आराजीयात पर करीब 50–55 वर्षों से अपीलांट का कब्जा है जो पहले खलियान के काम आती थी। लेकिन बाद मं रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हो गयी। इस प्रकार मौका रिपोर्ट दिनांक 28.03.2018 के आधार पर वादी का वाद कतई पोषनीय नहीं था। बेदखली का वाद प्रस्तुत करने की मयाद 12 वर्ष निश्चित की गयी है अतिक्रमण के 12 वर्ष बाद अतिक्रमी को बेदखल नही किया जा सकता है मयाद अवधि के निकलने पर खातेदार के खातेदार अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते है एवं विवादित

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

आराजीयात के संबंध में तलब कि गई मौका रिपोर्ट दिनांक 26.04.2008 में भी विवादित आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा लगभग 60 वर्ष पुराना होना अपने निर्णय में माना है। जिस पर उनके बाड़े व मकान बने हुये है ऐसे में अपीलांट को बेदखली किये जाने का आदेश पारित करने से पहले मियाद के बिन्दू पर स्पष्ट रूप से निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। इसके अलावा अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि रेस्पोडेन्ट के अलावा भी विवादित भूमि नौसर बेवा बालूराम व श्योकरण पूत्र मांगीलाल के नाम दर्ज है और दोनों ही आवश्यक खातेदार को पक्षकार बनाये बगैर आदेश पारित करवाया है। इसके अलावा कथन किया कि विवादित भूमि पर वर्तमान में मकान बने हुये है और ग्राम पंचायत द्वारा सी0सी0 रोड़ बनवायी हुयी है जिससे वर्तमान में उक्त भूमि आबादी भूमि के रूप में काम आ रही है। इसके अलावा कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने राजनैतिक प्रभाव का उपयोग कर प्रार्थी पर नाजायज फौजदारी मुकदमें लगाकर हैरान व परेशान कर रहा है एवं अपने जातिगत/राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर प्रार्थीगण को उसके कदीम कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करना चाहता है। न्याया हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.07.2018 निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावे।

6. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने जवाब बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत है। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या नया 440 पुराना 408 खसरा नम्बर 2190 रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि से छोटू सिंह वल्द कल्याण सिंह , मोहन सिंह वल्द मदन सिंह, गोपाल सिंह वल्द मदन सिंह, भंवर सिंह वल्द भैरू सिंह, कानसिंह वल्द मदन सिंह को बेदखल कर मूल खातेदार नौसर पत्नी बालूराम सूरतराम पुत्र बालूराम व श्योकरण वल्द मांगीलाल को कब्जा सम्भलाये जाने का आदेश उचित रूप से पारित किया है। वादी/रेस्पोडेन्ट दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादित आराजीयात की खातेदारी होना साबित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट अतिक्रमी हैं और अतिक्रमी को बेदखल कराने का रिकार्डेड खातेदार को अधिकार है। अधिनस्थ न्यायालय ने समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाबदावा प्रस्तुत करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत करने, दस्तावेजों को प्रदर्श करवाये जाने, गवाहों से जिरह किये जाने का पूर्ण एवं पर्याप्त अवसर नहीं दिया है। इसके अलावा सुनवायी का भी पूर्ण एवं पर्याप्त अवसर नही दिया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक न्यायिक प्रक्रिया अपनाये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवायी का पूर्ण एवं पर्याप्त अवसर दिये बिना सरसरे तौर पर मनमाने ढंग से निर्णय पारित किया है। पत्रावली के अवलोकन से पूर्णतया स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की आर्डरशीट दिनांक 29.05.2018 के अन्तर्गत आगामी तारीख पेशी प्रतिवादी की उपस्थिति में दिनांक 11.06.2018 अंकित की गयी थीं किन्तु दिनांक 11.06.2018 की आर्डरशीट पत्रावली में अंकित नहीं है। इसके अलावा पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 18.06.2018 दो बार लिखते हुये प्रतिवादी की अनुपस्थिति में प्रतिवादी का जवाब बन्द किया गया है। जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित 90 दिन का समय भी प्रदान नही किया गया है। इसके अलावा प्रतिवादी अनुपस्थिति में प्रतिवादी को मौका दिये बिना सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है। इसलिये

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय दिनांक 20.07.2018 को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। हम न्यायहित में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने, साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत करने, दस्तावेजों को प्रदर्श करवाये जाने, गवाहों से जिरह किये जाने तथा सुनवायी हेतु पूर्ण एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित समझते है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.07.2018 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8. अतः विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को जवाबदावा प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य, सुनवाई एवं सबूत का अवसर देते हुए, प्रकरण को पुनः विधिक न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

30/9/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. आदेश आज दिनाक 30/9/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

30/9/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर